

147



PBR | निगरानी | उज्जैन | भू-श/2017/2036  
माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 रिवीजन

कैलाश पिता श्री जग्गुजी, जाति बांछड़ा,  
आयु 48 वर्ष, धंधा चौकीदारी,  
निवासी-ग्राम सिलारी तहसील घट्टिया  
जिला उज्जैन (म.प्र.)

—आवेदक

विरुद्ध

- 1- मोहन पिता श्री जग्गुजी, जाति बांछड़ा,  
आयु 50 वर्ष, धंधा खेती, निवासी-  
ग्राम सिलारी तहसील घट्टिया जिला  
उज्जैन (म.प्र.)
- 2- मध्य प्रदेश शासन

—अनावेदकगण

श्री. सुशान्त चन्द्र खन्ना  
द्वारा आज 4-7-17 को  
प्रस्तुत

वचक 4-7-17  
राजस्व मंडल, ग्वालियर

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन  
(म.प्र.) के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 869/2016-17 कैलाश  
विरुद्ध मोहन आदि में पारित आदेश दिनांक 20/06/2017  
से असन्तुष्ट एवं दुःखित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत है।

पिछे किल / उमरे / स.ग. / 2017 / 2036

के लाश / मोहन

24.11.2017

आवेदक को ओर से श्री  
मुभाष कबोरेया आमभाषक एवं  
आवेदक कुमोद 1 की ओर से  
श्री श्री पी. पी. शर्मा आमभाषक  
उपाध्यक्ष) लक लुने गये। प्रकण  
में तीन माह के विये यथा-स्थिति  
बनाये रखे जाने के आदेश दिये  
जाय। अपर आयुक्त को निर्देश  
दिये जाते हैं कि वे तीन माह  
में प्रकण का निराकरण करें।

24/11/17

24.11.17



अध्यक्ष